शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 13.04.2024

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर कुटरचित बैनामा तैयार करके, फर्जी व्यक्ति को उक्त जमीन का स्वामी बनाकर 18 लाख रुपये हड़पने वाले सातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार ,व श्री मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल प्रयवेक्षण मे चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम मे पुवायाँ पुलिस जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुखविर की सूचना पर धोखाधड़ी कर कुटरचित बैनामा तैयार करके, फर्जी व्यक्ति को उक्त जमीन का स्वामी बनाकर 18 लाख रुपये हड़पने वाले सातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 29.12.2023 को मुकदमा उपरोक्त के वादी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार निवासी मो0 कमलबाग कस्बा व थाना पुवाय जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 868/23 धारा 420/406/467/468/471 भादवि विरुद्ध अभियुक्तगण 1.हरीशंकर अवस्थी पुत्र रामकुमार अवस्थी 2.सुधा अवस्थी पत्नी हरिशंकर अवस्थी निवासीगण मो0 कोट कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर 3.संजय सिंह पुत्र सोमपाल सिंह निवासी पलिया दरोवस्त थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर 4.एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी से निजी आवश्यकता हेतु एक लाख रुपये उधार मागंने व रुपया वापस मागने पर 50,000/ रुपये वापस कर देने व 50,000 रुपये वापस नही करने तथा गाटा सं0 532 रकवा 0.150 हे0 स्थित ग्राम खुटार खास की खतौनी मे कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अज्ञात व्यक्ति को मनीराम दर्शाकर बैनामा वादी व वादी के रिश्तेदार अवनीश तिवारी के हक मे उपनिबन्धक कार्यालय पुवाय मे कराने के सम्बन्ध मे पंजीकृत होकर विवेचना था। उक्त घटना को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा गम्भीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ श्री प्रदीप कुमार राय को तत्काल अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये।

आज दिनांक 13.04.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त संजय सिंह पुत्र सोमपाल सिंह निवासी पलिया दरोवस्त थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर पुवायाँ बस स्टैण्ड पर खड़ा है अगर जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है । मुखबिर की सूचना पर हम पुलिस वालो ने भागने का मौका दिया बिना बस स्टैण्ड पुवायाँ से एक व्यक्ति को पकड लिया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम संजय सिंह पुत्र सोमपाल सिंह निवासी पलिया दरोवस्त थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर बताया । यही मुकदमा हाजा का वाछिंत अभियुक्त है अतः इसको कारण गिरफ्तारी बताकर बस स्टैण्ड पुवायाँ से समय करीब 12.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिसको बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय सिंह पुत्र सोमपाल सिंह निवासी पलिया दरोवस्त थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

1. मु0अ0स0 868/23 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर

अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 324/23 धारा 406/420 भादवि थाना कटरा जिला शाहजहाँपुर
2. मु0अ0स0 462/22 धारा 406/420 भादवि थाना कटरा जिला शाहजहाँपुर
3. मु0अ0स0 11/23 धारा 420/467/468/471 भादवि व 31(F) SC /ST ACT थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर
4. मु0अ0स0 285/23 धारा 420/467/468/471 भादवि व 31(F) SC /ST ACT थाना पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.श्री प्रदीप कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. निरीक्षक श्री राकेश सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 2528 दीप नागर थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2501 हिमांशु प्रजापति पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर